ईमेल / डाक

राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

क्रमांकः एफ.4(3)(3)स्वीप / निर्वा / वि.चुनाव / 2018 / 3356 जयपुर, दिनांक 21/6/18

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषित : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलेक्टर) राजस्थान।

विषयः विधानसभा आम चुनाव 2018– प्रचार–प्रसार की जिला स्तरीय कार्य योजना तैयार करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस वर्ष के अन्त में विधानसभा के लिए आम चुनाव सम्पन्न कराए जायेगें। इन आम चुनाव के दौरान राज्य में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने व विधानसभा आम चुनाव से पूर्व राज्य में सभी पात्र व्यक्तियों विशेषकर 18–19 वर्ग के युवाओं एवं विशेष योग्यजनों का मतदाता सूची में पंजीकरण सुनिश्चित करने हेतु प्रचार–प्रसार की कार्य योजना तैयारी की जानी है, जिससे कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शत–प्रतिशत पात्र व्यक्तियों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जा सके तथा आम चुनाव के दौरान इन्हें प्रेरित कर मतदान प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

1. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा क्षेत्रो की मतदाता सूचियों में सभी पात्र व्यक्तियों विशेष रूप से युवाओं एवं विशेषयोग्यजनों का पंजीकरण करने हेतु एवं निंर्वाचन प्रक्रिया में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु SVEEP (Systematic Voters' Education and Electoral Participation) कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रचार–प्रसार हेतु कार्य योजना तैयार कर इसकी क्रियान्विति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। विगत् वर्षो में पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान SVEEP कार्ययोजना के अन्तर्गत यथा पुनरीक्षण कार्यक्रम 2017, 2018 एवं निरन्तर अद्यतन की प्रक्रिया में **युवा पंजीकरण अभियान, वृहद पंजीकरण अभियान एवं सबल अभियान** चलाया जाकर इसकी विभिन्न स्तरों पर क्रियान्विति की गयी है तथा इसके परिणाम उत्साहवर्धक रहे हैं। इसके फलस्वरूप जहॉ जनसंख्या की तुलना में मतदाताओं का पंजीकरण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार अन्तर कम हुआ है वहीं नवयुवकों के पंजीकरण में भी वृद्धि हुई है। **अर्हता दिनांक 01.01.2018 के संदर्भ में दिनांक 22 जनवरी, 2018 को अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची एवं निरन्तर अद्यतन की प्रक्रिया के ऑकड़ो का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट है कि राज्य में अभी भी महिलाओं का पंजीकरण, जनसंख्या की तुलना में कम है जिससे लिगांनुपात में असंतुलन है एवं 18–19 आयु वर्ग के युवाओं का भी निर्धारित अनुपात में पंजीयन नहीं हुआ है, साथ ही विशेष योग्यजनों का पंजीकरण भी निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नहीं है, जो कि एक चिन्ता का विषय है तथा विधानसभा आम चुनाव से पूर्व प्रचार प्रसार की कार्य योजना बनाकर वांछित लक्ष्य अर्जित किए जाने हैं।**

2. वोटर्स टर्न आउट से संबंधित गत् विधानसभा आम चुनाव के ऑकड़ों का विश्लेषण किया जाए तो यह स्पष्ट होगा कि आम चुनाव के दौरान राज्य में पंजीकृत मतदाताओं की तुलना में वोटर्स टर्नआउट इससे पूर्व के विधानसभा आम चुनाव की तुलना में संतोषजनक रहा है। विधानसभा आम चुनाव 2008 के दौरान 66.49 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा एवं वर्ष 2013 विधानसभा आम चुनाव के दौरान 76.25 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया है। यदि इन ऑकड़ों का और आगे विशलेषण किया जाए तो यह विदित होगा कि आम चुनावों के

दौरान महिला मतदाताओं द्वारा पुरूष मतदाताओं की तुलना में मतदान प्रक्रिया में कम संख्या में भाग लिया गया है। **अतः यह आवश्यक है कि जिलेवार/विधानसभा क्षेत्रवार/मतदान केन्द्रवार इन ऑकड़ो का विशलेषण करते हुए एवं आगामी विधानसभा आम चुनाव के दौरान ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए जिनमे मतदान प्रक्रिया के प्रति रूझान कम है तथा इन्हें टारगेट बनाते हुए प्रचार–प्रसार की विशिष्ट कार्य योजना तैयार की जाए, जिससे विधानसभा आम चुनाव के दौरान राज्य के सभी पंजीकृत मतदाता मतदान प्रक्रिया में भाग लेकर अपने मताधिकारी का प्रयोग करें।**

3. उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि आगामी विधानसभा आम चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए प्रचार प्रसार के लिए जिला स्तर पर दो कार्य योजना तैयारी करनी होगी। **प्रथम कार्य योजना** के अन्तर्गत मतदाताओं का पंजीकरण निर्धारित मापदंड के अनुसार करने, उनके पास मतदाता फोटो पहचान पत्र की उपलब्धता सुनिश्चित करने के विषय में टारगेट ग्रुप चिन्हित कर कार्य योजना तैयार करनी होगी। इसी प्रकार से **द्वितीय कार्य योजना** के अनुसार विधानसभा आम चुनाव के दौरान मतदाताओं की शत–प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु कार्य योजना तैयार करनी होगी। इस कार्ययोजना के अन्तर्गत EVM/VVPAT **का व्यापक प्रचार–प्रसार एवं अन्य मतदाताओं के साथ विशेष योग्यजनों की शत–प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु व्यापक रूप से ऐसी गतिविधियॉ चिन्हित कर इन पर कार्य करना होगा। प्रथम कार्य योजना की अवधि 20 जून, 2018 से प्रारम्भ होकर 27 सितम्बर, 2018 तक रहेगी तथा द्वितीय कार्य योजना की अवधि माह जुलाई, 2018 के अंतिम सप्ताह से प्रारम्भ होकर नवम्बर–दिसम्बर 2018 तक रहेगी अथवा मतदान हेतु निर्धारित तिथि तक रहेगी।**

4. **जिला स्तरीय नोडल अधिकारी की नियुक्ति** – भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जिला स्तर पर प्रचार प्रसार की कियान्विति सुनिश्चित करने हेतु इस कार्य के लिए पृथक से एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करने के निर्देश दिये है। इस विषय में भारत निर्वाचन आयोग के पत्र कमांक 491/SVEEP/01/2013/64 दिनांक 01 मार्च, 2013 की प्रति संलग्न की जा रही है जिसमे जिला स्तर पर नियुक्त किये जाने वाले नोडल अधिकारी की अर्हताऍ बताई गई है, जिसके अनुसार इसकी नियुक्ति की जानी है।

4.1 विभाग द्वारा राज्य के सभी जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए है। जिला स्तरीय नोडल अधिकारी की सहायतार्थ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता रखने वाले जिले में किसी भी विभाग के ऐसे अधिकारी जो कि इस कार्य से जुड़े हुए है उनमे से सर्वश्रेष्ठ अधिकारी का चयन कर इस कार्य के लिए **सहायक नोडल अधिकारी** नियुक्त किया जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) नोडल अधिकारी/सहायक नोडल अधिकारी की नियुक्ति आवश्यक रूप से 25 जून, 2018 तक करेगें तथा नोडल अधिकारी/सहायक नोडल अधिकारी के नाम तथा उसकी अर्हताओं आदि का विवरण अंकित करते हुए विभाग को **परिशिष्ट–ए** में सूचित करेगें।

4.2 जिला निर्वाचन अधिकारी इसी प्रकार से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के स्वीप के नोडल अधिकारी/सहायक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेगें तथा इसकी सूचना दिनांक 25 जून, 2018 तक विभाग को प्रेषित की जाए। विधानसभा क्षेत्र के नोडल अधिकारी/सहायक नोडल अधिकारी की सूचना **परिशिष्ट–बी** में तैयार कर जिला स्तर पर डेटाबेस के रूप में तैयार रखी जाए।

4.3 आयोग द्वारा प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान केन्द्र स्तर पर भी स्वीप टीम गठित करने के निर्देश दिए है। इस टीम का महत्वपूर्ण दायित्व है क्योंकि इस टीम के

सदस्य सीधे नागरिकों से जुडे होते है तथा विभिन्न कार्ययोजनाओं की क्रियान्विति इन्हीं के माध्यम से की जाती है। इस टीम में फील्ड स्तर पर कार्यरत कार्मिकों को रखा जाना है। इस टीम का नोडल अधिकारी बीएलओ अथवा अन्य जिम्मेदार अधिकारी हो सकता है। मतदान केन्द्र स्तर पर गठित टीम में ग्राम सेवक, ऑगनबाडी कार्यकर्त्ता, आशा सहयोगिनी, ए.एन.एम, पटवारी, नेहरू युवा केन्द्र, NLMA के प्रेरक आदि को आवश्यक रूप से सम्मिलित किया जावे। मतदान केन्द्रवार गठित टीम का डेटाबेस ERO कार्यालय स्तर पर संधारित **परिशिष्ट–सी** में तैयार कर रखा जावें। यह कार्य आवश्यक रूप से 10 जुलाई, 2018 तक किया जाकर इसकी सूचना 15 जुलाई, 2018 विभाग को प्रेषित की जावें।

5. **प्रचार–प्रसार हेतु जिला स्तर की प्रथम कार्य योजना –** जैसा कि ऊपर के पैरा में उल्लेखित किया गया है कि जिला स्तर पर सर्वप्रथम ऐसी कार्य योजना तैयार की जानी है जिससे कि जिले में मतदाता सूची में सभी पात्र व्यक्तियों विशेष रूप से 18–19 वर्ष के युवाओं तथा विशेष योग्यजनों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जा सके। इस हेतु सर्वप्रथम जिले की मतदाता सूची के दिनांक 31 मई, 2018 तक के ऑकड़ो का विश्लेषण कर यह चिन्हित किया जाए कि किस पैरामीटर यथा महिला, युवा, विशेषयोग्यजनों व्यक्तियों का मतदाता सूची में पंजीकरण निर्धारित मापदण्ड से कम है। विधानसभा क्षेत्रवार इस प्रकार के मतदान केन्द्रों को चिन्हित किया जाएगा। ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर इनके लिए सूक्ष्म कार्य योजना तैयार कर विशेष गतिविधियॉ आयोजित की जाए। प्रथम कार्य योजना की अवधि में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार मतदाता सूचियों में पंजीकरण सुनिश्चित किया जा सके। उक्त कार्य योजना को तैयार करने के विषय में प्रमुख बिन्दु निम्न प्रकार से है।

5.1 **कार्य योजना की अवधि–** उक्त कार्य योजना माह जून, 2018 के द्वितीय पखवाड़े से प्रारम्भ होकर माह सितम्बर, 2018 तक के लिए तैयार की जायेगी। कार्य योजना के अन्तर्गत की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के विषय में समय निर्धारित किया जायेगा जिससे कि निर्धारित समय के अनुसार कार्यवाही पूर्ण की जा सके। कार्ययोजना तैयार करते समय युवाओं/विशेषयोग्यजनों के पंजीकरण के विषय में प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जावे।

5.2 **कार्य योजना के अन्तर्गत सम्मिलित की जाने वाली सहयोगी एजेन्सी का चिन्हिकरण –** जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) जिला स्तर पर विभिन्न सरकारी विभाग जिनके द्वारा की आई.ई.सी से संबंधित गतिविधियॉ व्यापक रूप से की जाती है, एन.सी.सी., भारत स्काउट एवं गाईड, एन.एस.एस. एन.वाई.के.एस., स्थानीय एफ.एम.चैलनस् (यदि कोई हो) का चिन्हिकरण सहयोगी एजेन्सी के रूप में करेगें। इसी प्रकार से जिले में संचालित होने वाले RWA, सी.एस.ओ.एस., डॉक्टर, आर्किटेक्ट, रोटरी क्लब, Lions Club जैसे एसोसिएशन/निकायों की सूची भी तैयार करेगें। इसके अतिरिक्त ऑगनबाड़ी कार्यकर्त्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता, स्वयं सहायता समूह आदि का सहयोग भी मतदाता सूची में पंजीकरण हेतु लिया जायेगा। जिला स्तर पर उच्च शिक्षा से संबंधित संचालित होने वाले विभिन्न महाविद्यालय/विश्वविद्यालय भी सहयोगी एजेन्सी के रूप में चिन्हित कर इनका सहयोग लिया जा सकता है। **विशेष योग्यजनों के पंजीकरण हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारी को पृथक से जिला स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया जावें।**

5.3 उपरोक्त पार्टनर एजेन्सी चिन्हित करने के बाद प्रचार प्रसार की कार्य योजना तैयार की जायेगी। इस विषय में कार्य योजना तैयार करने हेतु संलग्न **परिशिष्ट 'डी'** के अनुसार विभिन्न माध्यमों का प्रयोग कर गतिविधियॉ आयोजित की जावे। विशेषयोग्यजनों के लिए समाज कल्याण विभाग एवं स्थानीय स्तर पर कार्यरत एनजीओ के साथ समन्वय कर विशिष्ट गतिविधियॉ आयोजित की जाए।

6. <u>**प्रचार–प्रसार हेतु जिला स्तर की द्वितीय कार्य योजना**</u> विधानसभा आम चुनाव के दौरान अधिक से अधिक मतदाताओं की मतदान प्रक्रिया में सहभागिता सुनिश्चित करने एवं विशेषयोग्यजनों को मतदान हेतु प्रेरित कर मतदान केन्द्र पर लाने हेतु तथा EVM/VVPAT के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु द्वितीय कार्य योजना तैयार की जानी है। इस वर्ष होने वाले विधानसभा आम चुनाव के दौरान मतदाताओं को विशेष रूप से विशेषयोग्यजनों को मतदान के लिए प्रेरित करने हेतु प्रचार प्रसार की एक विशेष कार्य योजना तैयार की जाए जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित कर मतदान के समय मतदान करने हेतु प्रेरित किया जा सके। इस विषय में निम्न प्रकार से कार्यवाही की जानी है।

6.1 कार्य योजना में समिलित की जाने वाले सहयोगी एजेन्सी – इस विषय में कार्य योजना तैयार करने से पूर्व जिला स्तर पर संचालित होने वाले टीवी चैनल्स्, एफ.एम चैनलस्, एन. सी.सी., भारत स्काउट गाईड, एन.एस.एस., एन.वाई.के.एस आदि को एजेन्सी के रूप में चिन्हित कर सूची तैयार की जाए। इसके अतिरिक्त जिले में संचालित होने वाले सी.एस.ओ, RWA, डॉक्टर, आर्किटेक्ट, बिल्डर्स, रोटरी क्लब, Lions Club आदि ऐसोसियेशन/ निकायों की सूची तैयार की जाए। जिससे कि इनके सहयोग से इस विषय में तैयार की गयी कार्य योजना की कियान्विति सुनिश्चित की जाकर मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के विषय में कार्यवाही की जा सके। उक्त कार्य योजना के अन्तर्गत मतदान दिवस से पूर्व जिला/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र मुख्यालय/बड़े कस्बों में एक इस प्रकार की गतिविधि (event) आयोजित करनी है जिससे आम नागरिकों का ध्यान आकर्षित हो एवं इससे प्रेरित होकर वह मतदान करें। इस क्रम में आगामी माहों में संलग्न **परिशिष्ट–डी एवं ई** के अनुसार के विशेष तिथियों को कम से कम एक बडी गतिविधि आयोजित की जावें। इसी प्रकार से ऐसे सरकारी विभाग जो सीधे जनता से जुड़े हैं, उनको भी पार्टनर बनाया जाकर दायित्व सौपा जाए। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम **"सुगम मतदान"** रखी है इसलिए मतदाता सूची में पंजीकृत विशेषयोग्यजनों को मतदान केन्द्र पर लाने के लिए उन्हें प्रेरित कर सुविधापूर्वक मतदान केन्द्र पर मतदान की सुविधा प्रदान करनी होगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त कर इनका सक्रिय सहयोग लिया जाये। इस विषय में विशेष योग्यजनों को श्रेणी के अनुसार उन्हें मतदान के समय उपलब्ध करवायी जाने वाली सुविधाओं यथा Wheelchair, Braille Support, Volunteers, Priority Voting को भी सूचीबद्ध किया जाए तथा तद्नुसार उक्त सूची स्थानीय निकायों/एनजीओ को भी सहयोग हेतु उपलब्ध करवायी जावें।

उक्त कार्य योजना तैयार करते समय सहयोगी ऐजेन्सी चिन्हित करते समय सावधानी बरती जाए तथा ऐसी ऐजेन्सी को सूची में सम्मिलित नहीं किया जाए जिसकी राजनैतिक दलो से सहबद्धता है। इस विषय में कार्य योजना तैयार करने हेतु संलग्न परिशिष्ट 'बी' के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।

6.2 **कार्य योजना की अवधि** – द्वितीय कार्य योजना की अवधि माह जुलाई, 2018 के अन्त से नवम्बर–दिसम्बर, 2018 अथवा मतदान तिथि तक रहेगी। इस योजना के अन्तर्गत माहवार/तिथिवार कार्यक्रम निर्धारित किए जाने है।

6.3 **प्रत्येक जिले का जिला स्तरीय स्वीप ब्रांड ऐम्बेसेडर** :– भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश है कि प्रत्येक जिले में क्षेत्र विशेष में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को जिले के ब्रांड ऐम्बेसेडर के रूप में नियुक्त करने हेतु चिन्हित किया जाकर इसकी सूचना 30 जून, 2018 तक विभाग को मय सम्पूर्ण सूचना के साथ प्रेषित की जाए। जिससे इसका आयोग से

अनुमोदन प्राप्त कर इन्हें अधिकृत रूप से जिले का ब्रांड ऐम्बेसेडर नियुक्त किया जाकर इनका प्रचार–प्रसार में व्यापक सहयोग लिया जा सके।

6.4 **साक्षरता क्लब** :– भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य में स्कूल के सभी भावी मतदाताओं (14–17 आयुवर्ग), महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के छात्र/छात्राओं, सामुदायिक स्तर पर मतदान केन्द्रों पर चुनाव पाठशाला एवं सरकारी/कॉरपोरेट विभाग में साक्षरता क्लब स्थापित किये जाकर इनके अधिक से अधिक नागरिको को जोडा जाना है। उक्त साक्षरता क्लब की स्थापना माह जुलाई/अगस्त, 2018 में की जाकर इन्हें क्रियाशील किया जाना है, जिससे यह क्लब आगामी विधानसभा आम चुनाव तक क्रियाशील होकर मतदान के समय अधिक से अधिक मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित कर सके। इस विषय में विभाग स्तर से पृथक से दिशा–निर्देश जारी किये जा रहे है।

7. **जिला स्तर पर फीड बैक टीम का गठन** – जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा तैयार की गयी कार्य योजना की प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के सम्बंधित अधिकारी से समन्वय कर विभिन्न गतिविधियॉ निर्धारित समय में करवाया जाना सुनिश्चित करेगें। इस विषय में फीड बैक टीम भी गठित करेगें जो कि सर्वे कर फीडबैक प्राप्त करेगी कि कार्य योजना के अनुसार जो सन्देश देने का प्रयास किया गया है वह संबंधित लोगों के पास पहुॅच रहा है या नहीं। यदि इस विषय में किसी प्रकार के सुधार करने की आवश्यकता हो तो तद्नुसार कार्य योजना को संशोधित किया जा सकता है।

8. **कार्य योजना की मोनीटरिंग** – जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) द्वारा इस कार्य हेतु नियुक्त नोडल अधिकारी कार्य योजना की प्रतिदिन नियमित रूप से मोनीटंरिग करेगें तथा इसकी साप्ताहिक रिपोर्ट विभाग को प्रेषित करेगें। इसका फोंमेट पृथक से निर्धारित कर यथाशीघ्र प्रेषित किया जायेगा।

9. **जिला निर्वाचन अधिकारी उपरोक्त दोनो बिन्दुओं पर पृथक से कार्य योजना तैयार कर दिनांक 30 जून, 2018 तक विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें जिससे की विभाग स्तर पर इसका परीक्षण किया जाकर इसका अनुमोदन एवं बजट आवंटन प्रावधान करने के विषय में कार्यवाही की जा सके।**

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(अश्विनी भगत)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः एफ.4(3)(3)स्वीप/निर्वा/वि.चुनाव/2018/ **जयपुर, दिनांक**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
2. अति. निजी सचिव, अति. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
3. समस्त संभागीय आयुक्त (रोल पर्यवेक्षक), राजस्थान।
4. समस्त नोडल अधिकारी (स्वीप), मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्।
5. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, राजस्थान।

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान

परिशिष्ट–ए

जिले का नाम :						
क्र.सं.	अधिकारी का नाम	अधिकारी का पदनाम	टेलीफोन नं.		ई–मेल आई.डी	योग्यताऐं (संक्षेप में) केवल सहायक नोडल अधिकारी की
			लेण्डलाईन	मोबाईल नं.		
1	2	3	4	5	6	7

परिशिष्ट—बी

जिले का नाम :

क्र.सं.	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम	अधिकारी का नाम	अधिकारी का पदनाम	टेलीफोन नं.		ई—मेल आई.डी
				लेण्डलाईन	मोबाईल नं.	
1	2		3	4	5	6

परिशिष्ट–सी

जिले का नाम :			विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम :		
क्र.सं.	कार्यालय का नाम	अधिकारी का नाम	अधिकारी का पदनाम	मोबाईल नं.	ई–मेल आई.डी
1	2	3	4	5	6

प्रचार–प्रसार हेतु जिला स्तरीय प्रथम कार्य योजना
(मतदाता सूची में पात्र व्यक्तियों का पंजीकरण संबंधित)

25 जून, 2018 से 27 सितम्बर, 2018 तक

क.सं.	पार्टनशिप एजेन्सी / कार्यालय / संस्थान का नाम	की जाने वाली गतिविधियॉ	समय
1.	ऑगनबाड़ी कार्यकर्त्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता, स्वयं सहायकता समूह आदि महिलाओं से संबंधित ऐजन्सी से व्यक्तिगत संवाद कर प्रेरित करेगी।	महिलाओं को मतदाता सूची में पंजीकरण करवान हेतु व्यक्तिगत संवाद कर प्रेरित करेंगी एवं रेली आयोजित करना	25 जून 2018 से 27 सितम्बर, 2018 तक
2.	जिला स्तर पर संचालित कॉलेज / विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी	मतदाता सूची में युवाओं के पंजीकरण हेतु शिविर आयोजित करना	25 जून 2018 से 27 सितम्बर, 2018 के मध्य
3.	शहरी क्षेत्रों में पीआरओ एवं ग्रामीण क्षेत्र में डीएवीपी की जिला ईकाईयों के माध्यम से प्रचार–प्रसार	फोटो प्रदर्शनी, लघु फिल्मों का प्रसारण, स्कूलों में वाद–विवाद, निबन्ध लेखन, प्रश्नोत्तरी आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन	25 जून 2018 से 27 सितम्बर, 2018 तक
4.	जिला निर्वाचन अधिकारी / जनसम्पर्क अधिकारी	नुक्कड़ नाटक / कठपुतली शो का आयोजन	25 जून 2018 से 27 सितम्बर, 2018 तक
5.	जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) एवं संबंधित संस्थाओं के प्रधान	स्कूल, कॉलेज एवं विश्वविद्यालय आदि में पंजीयन बढ़ाने से संबंधित विषयों पर वाद–विवाद प्रतियोगिता, निबन्ध लेखन, पेन्टिग, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आदि का आयोजन	25 जून 2018 से 27 सितम्बर, 2018 तक
6.	भारत स्काउट गाईड, एन.सी.सी.,एन.एस.एस., शैक्षणिक संस्थान, ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता, जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर)	प्रभात फेरी, रेलियों का आयोजन	25 जून 2018 से 27 सितम्बर, 2018 तक
7.	जिला निर्वाचन अधिकारी एवं शैक्षणिक संस्थाओं के प्रधान	संकल्प पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में पढ़ने वाले छात्र / छात्राओं के माध्यम से संकल्प पत्र (शपथ)पत्र भरवाना	25 जून 2018 से 27 सितम्बर, 2018 तक
8.	जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेकटर)	पोस्टर, पेम्पलेट, होर्डिग्स आदि लगाया जाना	25 जून 2018 से 27 सितम्बर, 2018 तक
9.	जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर)	स्थानीय स्तर पर आयोजित होने वाले मेले आदि में फोटो प्रदर्शनी एवं मतदाताओं की समस्याओं से संबंधित शिविर लगाया जाना	25 जून 2018 से 27 सितम्बर, 2018 तक
10.	स्थानीय / इलैक्ट्रोनिक मीडिया / जिला निर्वाचन अधिकारी	लघु फिल्म, टीवी स्कोल आदि का प्रसारण, इसके साथ–साथ समय –समय पर वार्ताओं का प्रसारण	25 जून 2018 से 27 सितम्बर, 2018 तक
11.	जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	प्रत्येक पंचायत स्तर पर मतदाता सूचियों का प्रदर्शन एवं मतदाता सहायकता शिविर लगाया जाना, जिसमे आवेदन पत्र भी प्राप्त किये जा सकते है।	25 जून 2018 से 27 सितम्बर, 2018 तक
12.	जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर),	सिनेमा हॉल में लघु फिल्म एवं सिनेमा स्लाईटस का प्रदर्शन	25 जून 2018 से 27 सितम्बर, 2018 तक
13.	जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर), एवं संस्था के नोडल अधिकारी	महाविद्यालयों में युवाओं के मतदाता सूची में पंजीयन हेतु शिविर आयोजित करना	25 जून 2018 से 27 सितम्बर, 2018 तक
14.	जिला निर्वाचन अधिकारी / पीआरओ	निर्वाचन विभाग से संबंधित कॉल सेन्टर, सर्च फसेलिटि, एस.एम.एस. के माध्यम से की गई सुविधाओं का प्रेस नोट जारी कर प्रचार–प्रसार	25 जून 2018 से 27 सितम्बर, 2018 तक
15.	जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर)	नियमित रूप से प्रेस ब्रीफिंग	जुलाई, 2018 से प्रत्येक सप्ताह में एक दिन नियमित कर प्रेस बीफिंग

नोटः दूरस्थ ग्रामीण स्तर तक के मतदाताओं तक संदेश पहुँचाने के लिए कार्ययोजना में गतिविधियों का समावेश करें

प्रचार–प्रसार हेतु जिला स्तरीय द्वितीय कार्य योजना

(मतदान के लिए प्रेरित एवं मतदान प्रक्रिया की जानकारी संबंधित
जुलाई, 2018 के अंतिम सप्ताह से नवम्बर–दिसम्बर, 2018 तक

क.सं.	पार्टनशिप एजेन्सी / कार्यालय / संस्थान का नाम	की जाने वाली गतिविधियॉ	समय
1.	ऑगनबाड़ी कार्यकर्त्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता, स्वयं सहायकता समूह	मतदान के लिए व्यक्तिगत संवाद एवं रैली आयोजित कर प्रेरित करेंगी।	जूलाई, 2018 के अंतिम सप्ताह से नबम्वर–दिसम्बर, 2018
2.	जिला स्तर पर संचालित कॉलेज / विश्वविद्यालय के संस्था प्रधान एवं जिला निर्वाचन अधिकारी	वाद विवाद प्रतियोगिता, निबन्ध लेखन, प्रश्नोत्त्री एवं फोटो प्रर्दशर्नी का आयोजन	जूलाई, 2018 के अंतिम सप्ताह से नबम्वर–दिसम्बर, 2018
3.	क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की जिला इकाईयों एवं जिला जन सम्पर्क कार्यालय	फोटो प्रदर्शनी, लघु फिल्मों का प्रसारण, स्कूलों में वाद–विवाद, निबन्ध लेखन, प्रश्नोत्तरी आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन	जूलाई, 2018 के अंतिम सप्ताह से नबम्वर–दिसम्बर, 2018
4.	जिला निर्वाचन अधिकारी / जनसम्पर्क अधिकारी	नुक्कड़ नाटक / कठपुतली शो का आयोजन	जूलाई, 2018 के अंतिम सप्ताह से नबम्वर–दिसम्बर, 2018
5.	भारत स्काउट गाईड, एन.सी.सी.,एन.एस. एस., शैक्षणिक प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय, संस्थान प्रमुख एवं जिला	प्रभात फेरी, रेलियों का आयोजन	जूलाई, 2018 के अंतिम सप्ताह से नबम्वर–दिसम्बर, 2018
6.	जिला निर्वाचन अधिकारी एवं शैक्षणिक संस्थान प्रधान	संकल्प पत्र के माध्यम से शैक्षणिक संस्थान में पढ़ने वाले छात्र / छात्राओं के माध्यम से संकल्प पत्र (शपथ) पत्र भरवाना	जूलाई, 2018 के अंतिम सप्ताह से नबम्वर–दिसम्बर, 2018
7.	जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेकटर)	पोस्टर, पेम्पलेट, होर्डिग्स आदि लगाया जाना	जूलाई, 2018 के अंतिम सप्ताह से नबम्वर–दिसम्बर, 2018
8.	जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर)	स्थानीय स्तर पर आयोजित होने वाले मेले आदि में फोटो प्रदर्शनी से इ.वी.एम. से मतदान की जानकारी, आदर्श आचार संहिता एव 49–ओ के संबंध में शिविर लगाया जाना	जूलाई, 2018 के अंतिम सप्ताह से नबम्वर–दिसम्बर, 2018
9.	स्थानीय / इलैक्ट्रोनिक मीडिया / जिला निर्वाचन अधिकारी	लघु फिल्म, टीवी स्क्रोल एवं वार्ताओं का प्रसारण	जूलाई, 2018 के अंतिम सप्ताह से नबम्वर–दिसम्बर, 2018
10.	जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर),	सिनेमा हॉल में लघु फिल्म एवं सिनेमा स्लाईटस का प्रदर्शन	जूलाई, 2018 के अंतिम सप्ताह से नबम्वर–दिसम्बर, 2018
11.	जिला निर्वाचन अधिकारी / पीआरओ	निर्वाचन विभाग से संबंधित कॉल सेन्टर, सर्च फसेलिटि, एस.एम.एस. के माध्यम से की गई सुविधाओं का प्रचार–प्रसार	जूलाई, 2018 के अंतिम सप्ताह से नबम्वर–दिसम्बर, 2018
12.	जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर)	नियमित रूप से प्रेस ब्रीफिंग	जूलाई, 2018 के अंतिम सप्ताह से नबम्वर–दिसम्बर, 2018

नोटः दूरस्थ ग्रामीण स्तर तक के मतदाताओं तक संदेश पहुँचाने के लिए कार्ययोजना में गतिविधियों का समावेश करें

Timeline

A Brief Introduction :

The ECI has desired to split the FYP (Five Year Plan) into more manageable APs (Annual Plans). Out of 5 years of the plan period, two will be election years (2018 and 2019) and three will be non-election years (2016, 2017 and 2020). But The election and non-election years will require different sets of SVEEP interventions. There is also the fact that the Election Department has decided to devote each year in the plan period as a special along with month-wise activity charts for whole years. Specific deadlines are to be defined to ensure structured rollout of SVEEP-III in the state. Further, each district is required to draw a separate plan of its own on the basis of the state plan. In this regard, the state plan will itself serve as the district plan to a large extent, except where either the DEO office has better option or nature of resources available warrant customization. Whatever these changes are required to be approved by the CEO office before rollout.

Idea of SVEEP Timeline :

The methodology which was used to arrive at Annual SVEEP Timelines is as follows. Given the fact that each year has a number of days identified for celebration of a particular event of importance, what better opportunity but to identify suitable days for SVEEP activities. The creativity will lie in blending voter awareness activities with activities meant to celebrate the actual theme of the designated day. This day may be the birthday of a great person (e.g. Gandhi Jayanti); anniversary of event of national importance (Army Day) or it may be a day designated to focus on an issue of collective concern (Earth Day) etc. These days are an ideal opportunity for conducting SVEEP interventions.

The following is the break up of Annual SVEEP Action Plan for the plan period based on month-wise identification of important days, which may be exploited in an appropriate fashion for SVEEP interventions. Although this is the compulsory activity timeline, the districts may identify important days from perspective of their districts and the same may be utilized for planning district-level SVEEP interventions in addition to ones mentioned in this list.

Timeline for State

A SVEEP Calender will be released in evey December month of the plan period for rollout of the subsequent year's Annual Action Plan with that year's State SVEEP Year theme.

Month	Days Identified for SVEEP Activities	Activities Proposed
July 2018	1st July (School and College Opening Day/ Doctor's Day)	The Principal in his welcome address may contain mention of inclusive electoral participation being the bedrock of a robust democracy. (A model speech may be drafted by the District SVEEP Cell and made available to the educational institutions.)
	11th July (World Population Day)	This day might serve as an opportunity to ask students to write essays on the theme of **"Population and Democracy"** with emphasis on how management of large populations is made possible through effective electoral democracy. The basic problems like water, electricity, roads, education, food, equality, law, environment, communication, health, entertainment, trade etc. are basic issues related to population. Then, population growth is itself an issue. They should be asked to put emphasis on why voting intelligently and ethically assumes paramount importance in this regard.
August 2018	8th August (World Senior Citizen's Day)	The NLMA/ SLMA - SVEEP partners of Election Department - engaged in adult literacy and skill development may be asked to motivate senior citizens for voting.
	15th August (Independence Day)	The marginalized groups should be reminded that true freedom will be gained only on achievement of inclusive participation in the electoral process of the country. They should further be reminded that attachments in the name of caste, religion and region and lured by money and other material inducement are also sign of mental slavery. They may be administered pledge to shed ideas of slavery from their minds once and for all.
	24th August (AWWA Day)	Special voter awareness campaign on AWWA Day (Army Wives' Welfare Association) for wives of service personnel. (The ECI has also directed in this regard as per the SVEEP-III Project Document).
	29th August (National Sports Day)	This day is celebrated in memory of hockey wizard Major Dhyanchand (29th August is his birthday). The voter message may be linked to the following - (i) Major Dhyanchand succeeded because he always aimed for his goal (like the legendary warrior Arjuna in Mahabharata, who saw only the bird's eye and nothing else, while shooting the arrow). The goal of every citizen in India is to make our country strong. Casting vote is the first step to achieve this goal.

		(ii) Sports teach attributes like leadership, team-work, sportsmanship, victory, etc. These are also the attribute inculcated while playing an active role in country's democratic life. (iii) Youth are always very keen on sports. The Sports Day should be especially devoted tom this segment of electors. **(iv) Voter Awareness Cricket Matches** - A few friendly cricket matches may be organized on this day involving young electors in schools and colleges. The Department of Sports and Youth Affairs will be the ideal SVEEP partner for carrying out voter awareness activities on this day.
September	5th September (Teacher's Day)	The teachers are the architect of tomorrow. They are the harbingers of change for the better in any society. They create the citizens and leaders of tomorrow. They should include messages for electoral awareness in events conducted in educational institutions on this day. The future leaders should be taught the need to become responsible towards the ones whom they will lead. The future citizens should be taught to become compulsory voters in future general elections.
	8th September [World Literacy Day (UNESCO)]	Signature campaigns be organized in which message to be emphasized that literacy is incomplete without electoral literacy.
	12th September (*Baba Ramdev Jayanti*)	*Baba Ramdev Jayanti* is celebrated as the birthday of the well-known folk hero of Rajasthan, who stood for social diversity. All his life, Baba Ramdev remained concerned about the welfare of the excluded social groups, mainly belonging to lower castes. Therefore, from SVEEP point of view, this day may be utilized to motivate excluded groups for joining the electoral fold.
	24th September (NSS Day)	NSS Day is celebrated by the National Service Scheme Organisation. The NSS Day might be utilized for including SVEEP activities as part of community work (*shramdan*). Special NSS Camps on voter awareness theme may be organized. The slum people, *kacchi bastis* may be tackled in regard to SVEEP by using the services of NSS volunteers.
October	1st October (International Day of the Elderly)	Senior citizens may be motivated by asking school and college children (preferably grandchildren of the persons to be appealed) to present Request Cards - like Archie's and Hallmark cards available in market - in which extra space may be provided for inclusion of personal appeal. (Competition for making best cards with appeals may be explored, involving schools and colleges).

	2nd October (Gandhi Jayanti)	**Gandhi Vote Note** - This may be akin to a legal tender of currency bearing the message - "I promise the bearer to provide a clean and strong democracy, if the bearer not only votes in all general elections, but also votes ethically and intelligently by analyzing all available choices."-,..... (DEO Name). Voter awareness on this day may be carried out by distributing a sufficient number of Gandhi Vote Notes (bearing the picture of Father of the Nation) to people from Target Groups through BLOs, CAs, AWC workers, ANMs, *Saathins*, *Mahila Preraks* etc.
	8th October (Air Force Day)	The SWAC (South Western Air Command) or its Jodhpur Air Base should be written a request letter for appointing a nodal officer for carrying out voter awareness among Air Force service personnel. VFCs may be provided for Air Force personnel to register and become aware about process of registration and voting. The Air Force Officers Wives' Association may be involved in voter awareness among families of Air Force officers.
	16th October (World Food Day)	The DSO should be asked to ensure dissemination of voter awareness messages in the form of stickers, banners, posters etc. to be displayed at all the fair price shops and petrol pumps in the district.
November	14th November (Children's Day)	The Children's Fairs in schools, organized on this day, should be used for electoral awareness of future voters. Voter awareness desks may be set up in the fairs, where children should be taught the value of vote in electoral democracy. Voter awareness messages, easily comprehensible to children, should be put up at easily noticeable points in the Children's Fair premises.
December	1st December (World AIDS Day)	The AIDS patients are also an excluded group from electoral point of view. The Department of Medicine & Health should be requested to issue necessary instructions to hospitals in this regard.
	3rd December (World Day of the Handicapped)	The PwDs (Persons with Disabilities) should be the target group of voter awareness on this day. The PwDs should be made aware about the facilities being provided at polling stations for the PwDs (e.g. ramps for wheel-chairs etc.). They should be made aware about the BMFs being provided at the polling stations (like fresh drinking water, shelter etc.)

	4th December (Navy Day)	Although Navy units are not stationed in Rajasthan, ex-Navy personnel and their families belonging to the state is a significant number. Many ex-Navy personnel are members of Ex-personnel Cooperative Societies. These personnel can be reached through the *Sainik Kalyan Board*. The DEOs may also reach them by writing to DR, Cooperative Societies of the district in this regard. A nodal officer for carrying out voter awareness among ex-Naval service personnel may be appointed among the Board Members of these ex-Servicemen Cooperative Societies. VFCs may be provided for Air Force personnel to register and become aware about process of registration and voting. The exNavl Personnel Wives' Association may be involved in voter awareness among families of Air Force officers.
	10th December (Human Rights Day)	The State Human Rights Commission may be requested to bear "Voting is a Human Right" messages on the margins of its correspondence with various organs and departments of the government.
	18th December (Minorities' Rights Day)	The Minorities' Rights Day is celebrated in the country to make the minorities aware about their rights in the Indian Democracy. There cannot be a doubt about the fact that Right to Vote is also an inalienable right of the minorities like that of all the other groups. This afore-mentioned fact should be widely disseminated among the minorities' groups in the state on this day. The eminent leaders belonging to the minorities groups may be made SVEEP ambassadors in this regard.
	23rd December (*Kisan Diwas*)	The departments like Rural Development and Cooperative Department, which enjoy a large interface with the rural populace may be requested to carry out voter awareness tasks on *Kisan Diwas*. The educational tools and training kits for rural youth, being prepared under supervision of the Committee on Rural Youth, under the chairmanship of the CEO, Rajasthan, once approved by the ECI, shall be used for electoral awareness of rural youth. This material might be of use for voter awareness on *Kisan Diwas*.